राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार" कैम्प 2015 ग्राम पंचायत कुशलपुरा
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीम
(नरेन्द्र कुमार जैन पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :– ग्राम पंचायत कुशलपुरा

प्रकरण स. 02/2015 रेवा निर्णय दिनांक – 04.06.2015

अनवान

1. श्री दुदसिंह पुत्र पन्नासिंह जाति रावत निवासी चालीस मील कुशलपुरा तहसील भीम
2. श्री बाबुसिंह पुत्र भैरूसिंह जाति रावत निवासी चालीस मील कुशलपुरा तहसील भीम

वादीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीम
2. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय राजसमन्द
3. श्रीमान भूमि अवाप्ति अधिकारी एव अति0 जिला कलक्टर महोदय राजसमन्द।

प्रतिवादीगण

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 आरटीए

यह कि वादीगण के पूर्वज श्री भोजात जी थे व उनके नाम से नीचे वर्णित कृषि भूमि मौजा चोक हिरात पटवार मण्डल कुशलपुरा तहसील भीम में स्थित है:

खसरा नम्बर	रकबा			किस्म
	बीघा	विस्वा	विस्वांसी	
2796	04	12	00	बंझड
कुल किता 1 रकबा 04 बीघा 12 विस्वा				

वादीगण द्वारा उक्त आराजी मे काफी रूपये लगाकर उक्त कुआं भी खोदा गया था जिसमे काफी पानी भी निकला व चाह आज भी मौके पर मौजूद है।

उक्त भोजात पट्टी के वारिसान का सजरा निम्न प्रकार है:–

सजरा भोजा पिता रतना जी (भोजात पट्टी)

- पाचा जी
  - इन्द्रसिंह
    - भैरूसिंह
      - पन्नासिंह
        - दुदसिंह (वर्तमान)
      - बाबुसिंह (वर्तमान)
    - रामसिंह (मृत्यु)
- कुंपाजी (लाऔलाद)

यह कि भोजात पटटी के वारिसान वादीगण है व उक्त आराजी व चाह का वे निरन्तर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है व अपनी कृषि भुमियों की उक्त चाह से पिलाई करते चले आ रहे है। उक्त आराजी भोजात पटटी के नाम होने से सीधे तौर पर प्रतिवादीगण वादीगण के खाते दर्ज नही कर रहे है जबकि भोजात के वादीगण ही निरन्तर काश्त करते चले आ रहे है व उनके हिस्से में ही उक्त आराजी व चाह आया हुआ है।

अतः वादी का वादपत्र न्यायालय में लम्बित होकर **राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2015 कैम्प कुशलपुरा** मे पेश हुआ राज्य सरकार के प्रतिनिधि तहसीलदार भीम द्वारा उपरोक्त प्रकरण का जवाब बिन्दुवार प्रस्तुत किया कि

1 ग्राम चोक हिरात के आराजी खसरा नम्बर 2796 रकबा 04 बीघा 12 विस्वा बझड हाल अभिलेख मे शामलात पटटी भोजात के नाम से दर्ज है। साबिक एवं हाल अभिलेख मे उक्त भूमि पर वादीगण का स्वामित्व सिद्ध नही होता है। उक्त अभिलेख के अनुसार शामलात थोक पटटी की भूमि है जिस पर वादीगण का स्वामित्व साबिक एवं हाल अभिलेख प्रमाणित नही होता है।

2 वादपत्र की बिन्दु संख्या दो में अंकित कथन वादीगण स्वयं सिद्ध करें।

3 यह कि वादपत्र की बिन्दु संख्या 3 मे अंकित कथन वादी स्वय सिद्ध करे।

4 खसरा गिरदावरी के अनुसार खसरा नम्बर 2796 मे काश्त दर्ज नही है अतः वादीगण का कथन अस्वीकार किये जाने योग्य है।

5 यह कि खसरा गिरदावरी अनुसार खसरा नम्बर 2796 मे काश्त दर्ज नही है। अतः वादी का कथन अस्वीकार किये जाने योग्य है।

6 वादपत्र की पैरा संख्या छः वादीगण स्वय सिद्ध करें।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भीम जिला-राजसमन्द

Scanned by CamScanner

7. यह कि प्रश्नगत भूमि में खसरा गिरदावरी के अनुसार कृषि काश्त होना दर्ज नही है। अतः पैरा संख्या सात में अंकित वादीगण का कथन अस्वीकार किये जाने योग्य है।
8. वादपत्र की पैरा संख्या आठ में अंकित कथन साक्ष्य के अभाव अस्वीकार किये जाने योग्य है।
9. वादपत्र की पैरा संख्या नों में अंकित कथन वादीगण स्वयं सिद्ध करें।
10. वाद पत्र की पैरा संख्या दस में अंकित कथन वादीगण स्वयं सिद्ध करे।
11. वाद पत्र की पैरा संख्या ग्यारह में अंकित कथन वादीगण स्वयं सिद्ध करे।
12. प्रकरण से सम्बन्धित भूमि पर साबिक एवं हाल अभिलेख से वादीगण का स्वामित्व सिद्ध नही होने के फलस्वरूप वादी द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज किये जाने योग्य है।

क्योकि भूमिधारक जरिये तहसीलदार भीम द्वारा जवाब दावा पेश किया जिसमें वाद खारीज किये जाने योग्य है। अतः वादी का वाद खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

पीठासीन अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी
जिला - राजसमन्द

Scanned by CamScanner